संख्या : भाविप्रा/ मा.सं./ पेंशन/ आरपीएफसी/ 2012-13/509 **दिनांक : 13 अगस्त, 2013**

श्री जे.के.सांगलै
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त – ii
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय – दिल्ली (उत्तर)
28, कम्युनिटी केंद्र, वज़ीरपुर इंडस्ट्रियल क्षेत्र, दिल्ली – 110052

विषय : वास्तविक अंशदान पर पेंशन का संवितरण
संदर्भ : भाविप्रा पेंशन खाता नं डीएल/ सीपीएम/ 36478

महोदय,

इस कार्यालय के पत्र संख्या का.नि/मा.सं/पेंशन प्रकोष्ठ/ पेंशन दावा/ 2012/03-04 दिनांक 03-01-2013 और आपके पत्र संख्या डीएल/36478/सीपीएम-23/6985 दिनांक 11-02-2013 (प्रतियां संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करें।

2. जैसा कि आप जानते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली ने दिनांक 26-07-2013 के अपने आदेश के माध्यम से दिनांक 13-08-2012 को जारी आक्षेपित आदेश पर पूर्ण स्थगन आदेश पारित किया था। उक्त आदेश की एक प्रति संदर्भ हेतु संलग्न है।

3. इस संबंध में यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि निम्नलिखित वर्गों के संबंध में पेंशन दावों की कार्रवाई अभी शुरू की जानी है :

i) जुलाई, 2010 से अगस्त, 2011 के बीच वास्तविक वेतन के आधार पर किए गए दावों का निपटान और 13 अगस्त, 2012 के बाद किए गए संशोधित पेंशन भुगतान आदेशों पर अधिकतम वेतन।

ii) कर्मचारियों के अंशदान (वास्तविक वेतन पर अंशदान) के बावजूद अधिकतम वेतन पर दिनांक: 13 अगस्त, 2012 के बाद दावों का निपटान।

4. यह सूचित किया जाता है कि उपर्युक्त वर्ग में आने वाले लगभग 400 अधिकारी अभी भी चिंतित हैं क्योंकि उनके द्वारा वास्तविक वेतन पर पेंशन अंशदान देने के बावजूद उनके पेंशन दावों को आज तक संशोधित नहीं किया गया है। इस वर्ग के अंतर्गत आने वाले अधिकारियों द्वारा आरपीएफसी और भाविप्रा दोनों से लगातार अनुरोध किया जा रहा है कि उनके दावों का निपटान दिए गए विकल्प के अनुसार किया जाए विशेषकर तब जब उनके बाद सेवानिवृत्त हुए अधिकारियों को वास्तविक अंशदान के आधार पर पेंशन मिल रही हो। आप इस बात को भी मानेंगे कि इन अधिकारियों को उक्त प्रस्ताव से वंचित करना कानून की दृष्टि से भी अनुचित होगा।

5. अतः यह अनुरोध किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली के दिनांक 26 जुलाई, 2013 के आदेश को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त पैरा 3 में उल्लिखित अधिकारियों के मामलों को प्राथमिकता देते हुए उनके मुद्दों के समाधान हेतु वास्तविक अंशदान के आधार पर पेंशन में संशोधन किया जाए।

6. कृपया इसे प्राथमिकता दी जाए।

सधन्यवाद,

भवदीय,

--हस्ता०--
(राजू दुरेहा)
महाप्रबंधक (मानव संसाधन)

संलग्न : यथोक्त (पाँच पृष्ठ)

संख्या : भाविप्रा/ मा.सं./ पेंशन प्रकोष्ठ/ पेंशन दावा/ 2012/03-04/ **दिनांक : 03 जनवरी, 2013**

सेवा में,

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त – I
दिल्ली (उत्तर)
भविष्य निधि भवन
28, कम्युनिटी केंद्र
वज़ीरपुर इंडस्ट्रियल क्षेत्र
दिल्ली – 110052

ध्यानाकर्षण : टी.एस.नारंग, सहायक भविष्य निधि आयुक्त

विषय : वास्तविक अंशदान पर पेंशन का संवितरण – भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (डीएल/ 36478)

महोदय,

आपके पत्र संख्या 5863 दिनांक 03-12-2012 के संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि आपके कार्यालय ने मैसर्स भाविप्रा के कर्मचारियों को वास्तविक अंशदायी वेतन के आधार पर देय मासिक पेंशन मामलों पर कार्रवाई शुरू कर दी है।

2. इस संदर्भ में यह सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा उपलब्ध करवाए गए पेंशन दावा प्रपत्र अधिकारियों द्वारा चुने गए विकल्प के अनुसार संशोधित किए किए गए हैं जबकि निम्नलिखित मामलों पर कार्रवाई शुरू की जानी है :

i) जुलाई, 2010 से अगस्त, 2011 के बीच वास्तविक वेतन के आधार पर दावों को निपाया गया तथा 13 अगस्त, 2012 के बाद अधिकतम वेतन पर पेंशन संबंधी भुगतान आदेशों का संशोधन किया गया।

ii) कर्मचारी के अंशदान (वास्तविक वेतन पर) के बावजूद 13 अगस्त, 2012 के बाद अधिकतम वेतन पर दावों का निपटान किया गया।

3. इस संबंध में यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि इन अधिकारियों ने अपने पीपीओ के संशोधन हेतु इस कार्यालय के साथ-साथ आपके कार्यालय में भी अभ्यावेदन दिया है।

4. अतः उपर्युक्त के आलोक में यह अनुरोध किया जाता है कि जिन पेंशन दावों को उच्चतम वेतन पर निपटाया गया है परंतु उनमें वास्तविक वेतन का विकल्प दिया गया है, ऐसे दावों के संशोधित पीपीओ तत्काल जारी किए जाएं ताकि पेंशनभोगियों को राहत मिल सके।

भवदीय,

--हस्ता ०--
(राजू दुरेहा)
महाप्रबंधक (मानव संसाधन)